

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप -6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

—: सेवानिवृत्ति आदेश :—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:—शिविरा/मा/संस्था/बी-2/45002/सेवानिवृत्तियां/प्रधानाचार्य/2021-22/92-94 दिनांक 21.01.2021 की संलग्न सूची में क्रम संख्या 10 के द्वारा निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि के सन्दर्भ में प्रारूप-6 में अद्वैत प्रमाण पत्र तत्समय जारी किया गया था, लेकिन उक्त सेवानिवृत्ति आदेश में कॉलम संख्या 02 में वर्णितानुसार तत्समय इनके विरुद्ध विभागीय जांच सीसीए-16 के तहत प्रक्रियाधिन/लम्बित होने से ज्ञापन दिनांक 26.06.2020 जारी था, नवीनतम आदेश क्रमांक शिविरा/मा/विजांच/ 11208/K-143/2020/180-185 दिनांक 31.10.2022 के द्वारा विभागीय जांच का प्रकरण निर्णित/समाप्त हो जाने से, इनके संबंध में निम्नानुसार संशोधित प्रारूप-6 जारी किया जाता है :-

क्रं.सं	कार्मिक का नाम	पदस्थापन स्थान का नाम	जिला	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री कैलाश चन्द विजय, पूर्व प्रधानाचार्य	राउमावि गुढा आशिकपुरा, ब्लॉक बांदीकुई, दौसा	दौसा	05-07-1961	31-07-2021

अतः उक्त प्रधानाचार्य-उमावि के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि, इनके विरुद्ध आज दिनांक तक—

- 01 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 02 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 03 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा-मा/संस्था/बी-2/45002/सेवानिवृत्तियां/प्रधानाचार्य/2021-22/ दिनांक : 02/ 12/ 2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. संबंधित सयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय ।
02. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक, शिक्षा ।
03. संबंधित सयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग ।
04. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड हेतु ।
05. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जिला ।
06. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पेंशन प्रकरण निस्तारा हेतु ।
07. सम्बन्धित सेवानिवृत्त कार्मिक प्रधानाचार्य-उमावि को द्वारा सम्बन्धित जिशिओ-मुख्यालय ।
08. रक्षित/निजी पत्रावली ।

सयुक्त निदेशक (कार्मिक)